

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 32/2021

दायर दिनांक: 12/08/2021

उनवान

1. दुर्गाशंकर आयु 56 वर्ष पुत्र कजोडलाल जाति धाकड निवासी टिगरी तह० अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज०)।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट एवं इन्द्राज दुरस्ती करवाने बाबत

उपस्थिति :-

प्रार्थी :- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

अप्रार्थी :- विद्वान अभिभाषक श्री परोकार सरकार।

आदेश

दिनांक : 16/12/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल टिगरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 67 का ख०नं० 235/557 का रकबा 0.05 है०, ख०नं० 261 का रकबा 0.15 है०, ख०नं० 429/534 का रकबा 0.01 है०, ख०नं० 431/530 का रकबा 0.16 है०, ख०नं० 432 का रकबा 0.80 है०, ख०नं० 433/528 का रकबा 0.05 है० कुल किता 6 का रकबा 1.22 है० आराजी प्रार्थी के वर्तमान में जमाबन्दी शामलाती दर्ज खाता चली आ रही है। वर्तमान नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के पिता कजोडलाल की मृत्यु हो जाने से पिता कजोडलाल के स्थान पर प्रार्थी के नाम व अन्य भाईयों के नाम इन्तकाल दर्ज करते समय अप्रार्थी के द्वारा व अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी बनाते समय लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर पुत्र कजोडलाल के स्थान पर दुर्गालाल पुत्र कजोडीलाल नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। इसलिए प्रार्थी दुर्गालाल पुत्र कजोडीलाल के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र कजोडलाल सही नाम नकल जमाबन्दी दर्ज करवाने का अधिकारी है।

क्योंकि प्रार्थी का सही नाम दुर्गाशंकर पुत्र कजोडलाल ही है। प्रार्थी के सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी सही नाम दुर्गाशंकर पुत्र कजोडलाल दर्ज है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का आधार कार्ड पहचान पत्र राशनकार्ड की फोटो कॉपी व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी द्वारा किये गये गलत नाम को रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दुरुस्त नहीं करवाया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। विवादगस्त आराजी तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दुर्गालाल पुत्र कजोडीलाल के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र कजोडलाल सही नाम नकल जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw1** का शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम एवं माल टिगरी तहसील अटरू के खाता संख्या 67 कुल किता 6 का रकबा 1.22 है० में प्रार्थी का नाम दुर्गालाल पुत्र कजोडीलाल के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र कजोडलाल सही नाम नकल जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 ग्राम एवं माल टिगरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 67 का ख०नं० 235/557 का रकबा 0.05 है०, ख०नं० 261 का रकबा 0.15 है०, ख०नं० 429/534 का रकबा 0.01 है०, ख०नं० 431/530 का रकबा 0.16 है०, ख०नं० 432 का रकबा 0.80 है०, ख०नं० 433/528 का रकबा 0.05 है० कुल किता 6 का रकबा 1.22 है० में दुर्गालाल पुत्र कजोडीलाल का नाम शामलाती खाते में

दर्ज रिकार्ड है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम दुर्गाशंकर नागर पुत्र कजोड लाल दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र, श्रमिक कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस में प्रार्थी का नाम दुर्गा शंकर पुत्र कजोड लाल दर्ज है तथा राशन कार्ड में दुर्गा शंकर नागर पुत्र कजोडी लाल दर्ज है। ग्राम पंचायत पटना पं० स० अटरू के प्रमाण पत्र दिनांक 10.08.2021 अनुसार दुर्गाशंकर एवं दुर्गालाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल टिगरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 67 का ख०नं० 235/557 का रकबा 0.05 है०, ख०नं० 261 का रकबा 0.15 है०, ख०नं० 429/534 का रकबा 0.01 है०, ख०नं० 431/530 का रकबा 0.16 है०, ख०नं० 432 का रकबा 0.80 है०, ख०नं० 433/528 का रकबा 0.05 है० कुल कित्ता 6 का रकबा 1.22 है० में सहखातेदार दुर्गालाल पुत्र कजोडीलाल के स्थान पर दुर्गाशंकर पुत्र कजोडलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां